यायालय सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
टिब्बी जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :—सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0:—139/2026

1. गीता पत्नी अनिल कुमार जाति जाट निवासी भुरानुपरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

प्रार्थीया

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र रजीराम उर्फ राजाराम जाति जाट निवासी भुरानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. छोटूराम पुत्र रजीराम उर्फ राजाराम जाति जाट निवासी भुरानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
3. शिशपाल पुत्र रजीराम उर्फ राजाराम जाति जाट निवासी भुरानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
4. तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आरटीए

उपस्थितिः— श्री कुन्दनलाल अधिवक्ता प्रार्थी

श्री विकास शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी

निर्णय दिनांक 30.11.26

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया के नाम चक भुरानपुरा बारानी जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 के खाता स० 2/3 प० न० 235/386 मु0 न0 53 के किला न0 2, 9 ता 13, 18 ता 22 कुल 2.783 हैक्टेयर भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। ई साईन जमाबन्दी संलग्न प्रार्थना पत्र है। अप्रार्थीगण स० 1 ता 3 के नाम चक भुरानपुरा बारानी जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 के खाता स० 9/40 के प० न० 234/385 मु0 न0 47 के किला न० 16, 25, प० न० 234/386 मु० न0 52 के किला न0 5 ता 6, 14/2, 15 ता 17, 24 ता 25, प० न० 235/385 मु० न० 46 के किला न0 21, प० न० 235/386 मु० न० 53 के किला न० 1 कुल 2.9970 हैक्टेयर में प्रत्येक अप्रार्थीगण के नाम 1/3 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है। ई—साईन जमाबन्दी संलग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थीया की कृषि भूमि में आवागमन हेतु कोई मन्जूर शुदा रास्ता नहीं है। प्रार्थीया अपनी कृषि भूमि में आवागमन के लिए वर्तमान में चल रहे मन्जूर शुदा रास्ता भुरानपुरा बारानी के प० न० 234/385 मु० न० 47 के किला न0 21 ता 24 की दक्षिणी सींव पर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर स्वीकृत शुद्वा रास्ता से होते हुए अप्रार्थीगण की भूमि के प० न० 234/385 मु० न0 47 के किला न0 25 की दक्षिणी—पश्चिमी कोर्नर व प० न० 234/386 मु० न0 52 के किला न0 5 की पश्चिम दिशा में उतर से दक्षिण व किला न0 6 की उतरी दिशा में पश्चिम से पूर्व की ओर होते हुए अपने किला न0 10 में प्रवेश करता हैं। उक्त रास्ता से प्रार्थीया अर्सा समय से आवागमन करती चली आ रही है। उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत नहीं है। उक्त रास्ता प्रार्थीया के नजदीक व सुविधाजनक है इसके अलावा प्रार्थीया की कृषि भूमि में आवागमन हेतु कोई रास्ता नहीं है इसलिए प्रार्थीया, अप्रार्थीगण की भूमि चक भुरानपुरा बारानी के प० न० 234/385 मु० न० 47 के किला न0 25 की दक्षिणी—पश्चिमी कोर्नर पर 0.0014 हैक्टेयर व प० न० 234/386 मु० न० 52 के किला न0 5 की पश्चिम दिशा में उतर से दक्षिण 0.013

हैक्टेयर व किला न0 6 की उतरी दिशा में पश्चिम से पूर्व तरफ 0.013 हैक्टेयर रास्ता स्वीकृत करवाना चाहती है। प्रार्थीया प्रार्थना पत्र की चरण स० 3 में वर्णित रास्ता से आवागमन करती चली आ रही है तथा अपनी कृषि भूमि को काश्त करती चली आ रही है। प्रार्थीया की कृषि भूमि में आवागमन के लिए प्रार्थना पत्र की दफा 3 वर्णित रास्ता के अलावा ओर कोई रास्ता नहीं है, लेकिन उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं होने के कारण वर्तमान में प्रार्थीया द्वारा उक्त रास्ता को राजस्व रिकार्ड में मन्जूर करवाने के लिए कहा तो अप्रार्थीगण इन्कार हो गये। उक्त रास्ता की एवज में प्रार्थीया, अप्रार्थीगण को अपनी साथ चिपती भूमि अथवा डीएलसी रेट अनुसार राशि देने को तैयार है। अप्रार्थी स० 4 लैण्ड होल्डर होने के कारण आवश्यक पक्षकार है । प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार एंवम श्रवणाधिकार का है और उचित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है । अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर. टी. ए प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण की भूमि चक भुरानपुरा बारानी के प० न० 234/385 मु० न० 47 के किला न0 25 की दक्षिणी–पश्चिमी कोर्नर पर 0.0014 हैक्टेयर व प० न० 234/386 मु0 न0 52 के किला न0 5 की पश्चिम दिशा में उतर से दक्षिण 0.013 हैक्टेयर व किला न0 6 की उतरी दिशा में पश्चिम से पूर्व तरफ 0.013 हैक्टेयर गै० मु० रास्ता स्वीकृत फरमावे ।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन/नोटिस तलब किया गया अप्रार्थीगण की ओर जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया कि प्रार्थना पत्र की चरण स० 1 मुताबिक राजस्व रिकार्ड में भूमि दर्ज होनी स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की चरण स० 2 मुताबिक राजस्व रिकार्ड में भूमि दर्ज होनी स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की चरण स० 3 में वर्णित कथन सत्य होने से स्वीकार है । प्रार्थीया का यह कथन कि प्रार्थीया की कृषि भूमि में आवागमन हेतु कोई मन्जूर शुदा रास्ता नहीं है प्रार्थीया अपनी कृषि भूमि में आवागमन के लिए वर्तमान में चल रहे मन्जूर शुदा रास्ता भुरानपुरा बारानी के प० न० 234/385 मु० न० 47 के किला न0 21 ता 24 की दक्षिणी सींव पर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर स्वीकृत शुद्वा रास्ता से होते हुए अप्रार्थीगण की भूमि के प० न० 234/385 मु० न० 47 के किला न0 25 की दक्षिणी–पश्चिमी कोर्नर व प० न० 234/386 मु0 न0 52 के किला न0 5 की पश्चिम दिशा में उतर से दक्षिण व किला न0 6 की उतरी दिशा में पश्चिम से पूर्व की ओर होते हुए अपने किला न0 10 में प्रवेश करता हैं, सत्य होने से स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की चरण स० 4 में वर्णित कथन सत्य होने से स्वीकार है । प्रार्थना पत्र की चरण स० 5 में वर्णित कथन सत्य होने से स्वीकार है। प्रार्थीया द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र में चाहे गये रास्ता की एवज में अप्रार्थीगण को साथ चिपती भूमि दी जाती है तो हम अप्रार्थीगण सहमत है। प्रार्थना पत्र की चरण स० 7 कानूनी है। प्रार्थना पत्र की चरण स० 8 कानूनी है अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि यदि अप्रार्थीगण की भूमि चक भुरानपुरा बारानी के प० न० 234/385 मु0 न0 47 के किला न0 25 की दक्षिणी–पश्चिमी कोर्नर पर 0.0014 हैक्टेयर व प० न० 234/386 मु0 न0 52 के किला न0 5 की पश्चिम दिशा में उतर से दक्षिण 0.013 हैक्टेयर व किला न0 6 की उतरी दिशा में पश्चिम से पूर्व तरफ 0.013 हैक्टेयर गै0 मु० रास्ता स्वीकृत किया जाता है व उक्त प्रार्थना पत्र में चाहे गये रास्ता की एवज में व पूर्व में अप्रार्थीगण द्वारा लिये गये रास्ता (जो कि राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत है) की एवज में प्रार्थीया द्वारा प्रार्थीया की भूमि के प० न० 235/386 मु० न0 53 के किला न0 2 में 0.045 हैक्टेयर भूमि उतरी दिशा में पूर्व से पश्चिम की ओर भूमि अप्रार्थीगण को ब०हि०ब० दी जाती है तो हम सभी पक्षकारान को कोई उज व ऐतराज नहीं है। हम सभी पक्षकारान सहमत है।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी दौराने बहस वकील उभयपक्ष ने प्रार्थना पत्र मुताबिक सहमति स्वीकार किया जाकर रास्ता स्वीकृत किये जाने का निवेदन किया। बहस पर मनन

किया पत्रावली का अवलोकन किया गया, बाद अवलोकन पाया कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251ए आरटीए मुताबिक सहमति स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर चक भुरानपुरा बारानी के प० न० 234/385 मु० न० 47 के किला न0 25 की दक्षिणी-पश्चिमी कोर्नर पर 0.0014 हैक्टेयर व प० न० 234/386 मु0 न0 52 के किला न0 5 की पश्चिम दिशा में उतर से दक्षिण 0.013 हैक्टेयर व किला न0 6 की उतरी दिशा में पश्चिम से पूर्व तरफ 0.013 हैक्टेयर गै० मु० रास्ता स्वीकृत किया जाता है व रास्ते में आयी भूमि के बदले में प्रार्थीया की भूमि के प० न० 235/386 मु० न0 53 के किला न0 2 में 0.045 हैक्टेयर भूमि उतरी दिशा में पूर्व से पश्चिम की ओर अप्रार्थीगण के नाम ब0हि0ब0 दर्ज की जावे व प्रार्थीया का हिस्सा कम किया जावे। तहसीलदार राजस्व टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो उक्तानुसार राजस्व रिकोर्ड में गै0मु0 रास्ते का अंकन करे।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।